तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रामस्वरूप बनाम बृजलाल व.अ.	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
6/2/26	पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त है। पूर्वानुसार दिनांक 5/3/26 को पेश हो।	
05/3/26	पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त है। पूर्वानुसार दिनांक 16/3/26 को पेश हो।	
16/3/26	पत्रावली पेश हुई। अधि० वादी उपस्थित। तहसीलदार उच्चैन से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हो शा०मि० है। अधि० वादी को सुना गया। अधि० वादी ने प्रकरण को मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम रूप से डिक्री किये जाने का निवेदन किया है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। Tdr उच्चैन से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। वादी का वाद मुताबिक जुज रिपोर्ट अंतिम रूप से डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शा०मि० हो। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी उच्चैन (भरतपुर)	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उच्चैन(भरतपुर)

पीठासीन अधिकारीः– श्री सुरेश कुमार हरसोलिया (आर.ए.एस)

वाद पत्र कमांकः– 80 / 2024

1. रामस्वरूप पुत्र उदी जाति कुम्हार निवासी बारह पट्टी तहसील उच्चैन जिला भरतपुर।

....................वादी

बनाम

1. बृजलाल पुत्र उदी जाति कुम्हार निवासी बारह पट्टी तहसील उच्चैन जिला भरतपुर।
2. भंवर कौर पत्नि रज्जी जाति गूजर निवासी गिलगिलिया पट्टी तहसील उच्चैन।
3. लक्ष्मन सिंह पुत्र सूरजमल जाति गूजर निवासी जुगला पट्टी तहसील उच्चैन।
4. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील उच्चैन भरतपुर राज0।

....................प्रतिवादीगण

दावा धारा 53,188 आर.टी.ए.।

उपस्थितिः–

1. श्री दुलीचन्द शर्मा एडवोकेट

निर्णय **दिनांकः–16.03.2026**

वादी के द्वारा यह वाद पत्र राजस्थान कास्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53,188 के तहत पेश कर निवेदन किया है कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 की सहखातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी खसरा नम्बर 257 / 0.0100, 258 / 0.1700, 282 / 0.1100, 330 / 0.5700है0 बाके ग्राम बारहपट्टी तहसील उच्चैन में स्थित है जिसमें वादी एवं प्रति0 संख्या 1 काफी पुराने समय से मनबट से खसरा नम्बर 257 व 258 में तरफ उत्तर को वादी काश्त करता है तथा तरफ दक्षिण को प्रतिवादी संख्या 1 काश्त करता चला आ रहा है एवं खसरा नम्बर 330 में तरफ पश्चिम के निस्फ हिस्सा में वादी काश्त करता है तथा तरफ पूर्व के निस्फ हिस्सा में प्रति0 संख्या 1 काश्त करता है एवं खसरा नम्बर 282 में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 शामिल काश्त करते चले आ रहे है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 भंवरकौर की सहखातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 252 में प्रति0 संख्या 2 ने इस आराजी के 1 / 2 हिस्सा को प्रति0 सं0 1 से खरीदा है तथा उसने उक्त विक्रेता बृजलाल से इस आराजी के तरफ दक्षिण के निस्फ हिस्से पर कब्जा प्राप्त किया है तथा अब तक इसी तरफ दक्षिण के निस्फ हिस्सा में काश्त करती चली आ रही है। इसी प्रकार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 3 की सहखातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 103 को प्रति0सं0 3 ने वादी के भाई प्रति0सं0 1 से खरीदा है एवं उसने विक्रेता से पूर्व मनवट के अनुसार उसके कब्जे के तरफ उत्तर वाले निस्फ हिस्सा पर कब्जा प्राप्त किया है और वादी इस आराजी के तरफ दक्षिण के निस्फ हिस्सा पर पहले की तरह काबिज होकर बदस्तूर ताहाल न्यारानूर काश्त करता चला आ रहा है। समस्त वादग्रस्त आराजी पर वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य मनवट काफी पुराने समय से मौके पर हो रहा है और सभी सम्बन्धित सहखातेदार मनवट से अपनी अलग–अलग काश्त करते चले आ रहे है परन्तु अभी तक उक्त आराजी का रिकार्ड में कानूनी विभाजन नहीं हो पाया है और अलग–अलग खाते कायम नहीं हो पाये है जिसके कारण सहखातेदारानों के मध्य आये दिन विवाद होते रहते है एवं सहखातेदार पूर्व में हो रहे मनवट से इनकारी हो गये है और उन्होंने दिनांक 15.06.2022

उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन (भरतपुर)

को वादी को पूर्व के मनवट में फेरबदल करने की खुले आम धमकी दी है इस कारण वादग्रस्त आराजी का पूर्व मनवट के अनुसार कानूनी विभाजन जरिये अदालत कराया जाना आवश्यक हो गया है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रति0 संख्या 1 की ओर से श्री गोरधन धनकर एड0 उप0 आये एवं प्रतिवादी संख्या 3 बाबजूद प्रोपर तामील हाजिर नहीं होने के कारण इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई। प्रति0 संख्या 1 दिनांक 26.04.2024 को न तो स्वयं ना ही जरिये अधिवक्ता अदालत में उपस्थित नहीं होने के कारण इसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई। प्रति0 संख्या 2 बाबजूद रजिस्टर्ड तामील अदालत में हाजिर नहीं होने के कारण इसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई। प्रतिवादी संख्या 4 पैरोकार सरकार की ओर से नायब तहसीलदार उच्चैन उपस्थित हुये। पत्रावली में अभिभाषक वादी को सुना जाकर प्रकरण में दिनांक 09.10.2024 को प्राथमिक डिक्री पारित की गई। तहसीलदार उच्चैन से दिनांक 05.08. 2025 को विभाजन प्रस्ताब प्राप्त हुआ। उक्त विभाजन प्रस्ताव के साथ संलग्न नजरी नक्शे में खसरा नम्बरों में भिन्नता होने के कारण तहसीलदार उच्चैन से पुनः विभाजन प्रस्ताव मंगबाया गया। दिनांक 16.03.2025 को तहसीलदार उच्चैन से पुनः विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुआ। अभिभाषक वादी की बहस सुनी गई। अभिभाषक वादी ने प्रकरण को मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम रूप से डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

मेरे द्वारा अभिभाषक वादी को सुना गया। पत्रावली, शपथपत्र एवं पत्रावली के साथ उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य नकल जमाबंदी सम्बत् 2075 से 2078 एवं तहसीलदार उच्चैन के पत्रांक 2402 दिनांक 08.12.2025 का अवलोकन किया गया। वादी का वाद मुताबिक कुरे रिपोर्ट अंतिम रूप से डिक्री किये जाने योग्य है।

अतः आज्ञा है कि:–

वादी का वादपत्र मुताबिक कुरे रिपोर्ट अंतिम रूप से डिक्री किया जाता है। कुरे रिपोर्ट एवं कुरे रिपोर्ट के साथ पेश नजरी नक्शा डिक्री का जुज रहेगा। तहसीलदार उच्चैन को आदेश दिया जाता है कि खसरा न. 257/0.0100, 258/0.1700, 282/0.1100, 330/0. 5700, 103/0.29, 252/0.64है0 बाके ग्राम बारहपट्टी तहसील उच्चैन (मुताबिक जमाबंदी सम्वत् 2075–2078) का मुताबिक कुरे रिपोर्ट एवं कुरे रिपोर्ट साथ पेश नजरी नक्शे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में पृथक–पृथक खाते संधारित करेंगे, भू–राजस्व निर्धारित करेंगे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 16.03.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सुरेश कुमार हरसोलिया (आर0ए0एस0)
उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन भरतपुर

डिगरी व मुकदमे इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6–7, जाप्ता दीवानी)

(Civil Procedure Gode, Appendix D-1)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम उच्चैन, भरतपुर

व इजलास श्री सुरेश कुमार हरसोलिया (R.A.S.)

रामस्वरूप बनाम बुधलाल वगैरा

दावा बाबत् धारा 53, 188 RTA

मुकदमा नं. 80/2024 (105/2022 ACM कुम्हेर) सन्

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसालं कतई रू–ब–रू हमारे

व हाजरी श्री दुलीचंद शर्मा एड० मिनजानिब

मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाता है कि वादी का वादपत्र मुताबिक कुर्रे रिपोर्ट अंतिम रूप से डिक्री किया जाता है। कुर्रे रिपोर्ट एवं कुर्रे रिपोर्ट के साथ पेश नक्शा नजरी नक्शा डिक्री का भाग रहेगा। तहसीलदार उच्चैन को आदेश दिया जाता है कि ख० न० 257/0.01, 258/0.17, 282/0.11, 330/0.57, 103/0.29, 252/0.64 है० वाके ग्राम बारहपुरी तह० उच्चैन (मुताबिक जमाबंदी सम्वत 2075-2078) का मुताबिक कुर्रे रिपोर्ट एवं कुर्रे रिपोर्ट के साथ पेश नजरी नक्शा के अनुसार नामक रिकार्ड में पृथक-पृथक खाते संधारित करेंगे, प्र० नामक निर्मित करेंगे। आज मुबलिग बाबत्

खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख बसूलयावी तक का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 16 माह 03 वर्ष 2026 को जारी की गई।

दस्तखत [signature] उपखण्ड अधिकारी

मुहर

ओहदा उच्चैन (भरतपुर)

मुद्दई		रुपया	पैसे	मुद्दालय		रुपये	पैसे
स्टाम्प अरजीदावा	....			स्टाम्प वकालतनामा	....		
स्टाम्प वकालतनामा	....			स्टाम्प अरजी	....		
स्टाम्प वजह सबूत	....			महनताना वकील)पर	....		
महनताना वकील)पर	....			खर्चा गवाहान	....		
खर्चा गवाहान	....			फीस कमिश्नर	....		
फीस कमिश्नर	....			वावत इजराय हुक्मनामा	....		
वावत इजराय हुक्मनामा	....						
मुतफरिक	....						
मीजान	....			मीजान	....		

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उच्चैन(भरतपुर)

पीठासीन अधिकारीः— श्री सुरेश कुमार हरसोलिया (आर.ए.एस)

वाद पत्र कमांकः— 80/2024

1. रामस्वरूप पुत्र उदी जाति कुम्हार निवासी बारह पट्टी तहसील उच्चैन जिला भरतपुर।

बनाम ....वादी

1. बृजलाल पुत्र उदी जाति कुम्हार निवासी बारह पट्टी तहसील उच्चैन जिला भरतपुर।
2. भंवर कौर पत्नि रज्जी जाति गूजर निवासी गिलगिलिया पट्टी तहसील उच्चैन।
3. लक्ष्मन सिंह पुत्र सूरजमल जाति गूजर निवासी जुगला पट्टी तहसील उच्चैन।
4. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील उच्चैन भरतपुर राज0।

..................प्रतिवादीगण

दावा धारा 53,188 आर.टी.ए.।

उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन (भरतपुर)